

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
सकारण आदेश

99

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका के कार्यालय झापांक 939, दिनांक 29.11.2014 के द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि संवेदक मेसर्स सनराईज कन्सट्रक्शन, बलुआटाल मोतिहारी द्वारा पैकेज सं०-बी०आर०-11आर०-228 के तहत आर०ई०ओ० रोड निर्मुईया धुमनगर से पोखरिया पथ का कार्य कराने हेतु एकरारनामा किया गया था, जिसका एकरारनामा सं०-42-एस०बी०डी०-2009-10 है एवं एकरारनामा की राशि 122.70 लाख रू० मात्र है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 12.10.2010 थी। संवेदक द्वारा दिनांक 25.03.2013 तक मो० 4629688.00 रू० मात्र का कार्य किया गया, जिसके पश्चात कार्य बंद कर दिया गया था। किये गये कार्य का प्रतिशत केवल 37.73 प्रतिशत है। कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के अनुसार संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु अनेक मौखिक स्मार के साथ-साथ कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 323, दिनांक 26.03.14 एवं प्रेस विज्ञप्ति (दैनिक समाचार, हिन्दुस्तान के दिनांक 28.09.2013 एवं 06.05.2014 के अंक में प्रकाशित) के माध्यम से सूचित किये जाने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं ली गई, जिसके कारण संवेदक का एकरारनामा सं०-42-एस०बी०डी०-2009-10 को बिखंडित कर उक्त संवेदक के निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा की गई।

कार्यपालक अभियंता के उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 474 अनु०, दिनांक 13.01.2015 द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक द्वारा इस संबंध में पत्रांक-शून्य, दिनांक 28.01.2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। विभागीय समीक्षोपरान्त संवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अमान्य किया गया। तदोपरान्त संवेदक मेसर्स सनराईज कन्सट्रक्शन, बलुआटाल मोतिहारी (निबंधन सं०-636/2008, श्रेणी 2) को विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

अ.श. (श्री नारायण)

अभियंता प्रमुख  
ग्रामीण कार्य विभाग

पटना, दिनांक-17.8.15

झापांक-14/अ०प्र०-3-2/15-  
प्रतिलिपि- संवेदक मेसर्स सनराईज कन्सट्रक्शन, बलुआटाल मोतिहारी (निबंधन सं०-636/2008, श्रेणी 2)  
को सूचनार्थ प्रेषित।

10043

अभियंता प्रमुख  
ग्रामीण कार्य विभाग

पटना, दिनांक-17.8.15

झापांक-14/अ०प्र०-3-34/15-

10043

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी नोडेल पदाधिकारी (मु०) ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख  
ग्रामीण कार्य विभाग

0043-11

26.8.15

1241015  
26-8-15

18

10049

10049

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-3-2/15-

10049

पटना, दिनांक- 17.8.15

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि एकरारनामा के प्रावधानों के तहत उक्त संवेदक के जमानत की राशि जब्त करने एवं उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।

11/08/15

अभियंता प्रमुख  
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-3-2/15-

10049

पटना, दिनांक- 17.8.15

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को इंटरनेट पर उपरोक्त सूचना को प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

11/08/15

अभियंता प्रमुख  
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-3-2/15-

10049

पटना, दिनांक- 17.8.15

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/08/15

अभियंता प्रमुख  
ग्रामीण कार्य विभाग

0

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक:-11/विविध-06-07/2015

5205

पटना, दिनांक- 16.10.15

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार (यांत्रिक सहित) / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो0 अंचल-2,3 एवं बाढ़ / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन / आई0टी0 मैनेजर (बेवसाइट पर डालने हेतु), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

15.10.15

(नागेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव ।

15/10/15